(1)

(81)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
अधिसूचना

सं०सं0–01/स्था०राज०–321/2024–.......... पटना, दिनांक– फरवरी, 2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ईख प्रसार संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली ''बिहार ईख प्रसार सवंर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2026'' कही जायेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा** ।–**इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो** –
(i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य,
(ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
(iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
(iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग;
(v) ''बिहार ईख प्रसार संवर्ग'' से अभिप्रेत है। बिहार राज्य की बिहार ईख प्रसार पदाधिकारियों का संवर्ग;
(vi) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
(vii) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;
(viii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार ईख प्रसार संवर्ग में नियुक्त होकर कार्यरत व्यक्ति;
(ix) 'नियुक्ति' 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
(x) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है बिहार ईख प्रसार संवर्ग इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

3. **संवर्ग नियंत्रण।**– यह एक राज्य स्तरीय संवर्ग होगा गन्ना उद्योग विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा।

4. **पद सोपान।**–
(i) इस संवर्ग में ईख प्रसार पदाधिकारी का एकल पद होगा।
(ii) उक्त पद का स्वीकृत बल एवं वेतनमान/वेतनस्तर वहीं होगा, जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति।**–
(1) सेवा मे नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक होना अनिवार्य होगा।
(2) प्रत्येक वर्ष 1 ली अप्रैल को कोटि में स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग–अलग की जायेगी और 30 अप्रैल तक सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी।

50

(3) **शैक्षणिक योग्यता**–संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।

(4) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति**:–

(i) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जायेगी।

(ii) उम्र सीमा।– आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

(iii) आरक्षण।– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए, समय–समय पर, अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(iv) प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम।– प्रतियोगिता परीक्षा के विषय और पाठयक्रम आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से, अवधारित किया जाएगा।

(v) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा**।–आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा और अधियाचना के अनुसार अनुशंसा विभाग को करेगा।

(5) **प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति**–

(i) गन्ना उद्योग विभाग में ईख प्रसार पदाधिकारी के मूल कोटि के 67 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे। मूल कोटि के शेष 33 प्रतिशत पद तीन विभिन्न संवर्ग के पद जनसेवक ग्रेड–(i), बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) तथा ईख पर्यवेक्षक से प्रोन्नति द्वारा भरें जायेंगे।

(क) गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत जनसेवक ग्रेड–(i) उपरोक्त 33 प्रतिशत के अंतर्गत 10 प्रतिशत पदों पर कोटा के प्रोन्नति के पात्र होगें।

(ख) गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) उपरोक्त 33 प्रतिशत के अंतर्गत 10 प्रतिशत पदों पर कोटा के प्रोन्नति के पात्र होगें।

(ग) गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत ईख पर्यवेक्षक उपरोक्त 33 प्रतिशत के अंतर्गत 13 प्रतिशत पदों पर कोटा के प्रोन्नति के पात्र होगें।

(घ) (i) प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु कालावधि वही होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के लिए समय–समय पर विहित आरक्षण प्रावधान इस हेतु भी लागू होंगे।

6. परिवीक्षा ।–

सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर इसे अभिलिखित किये जाने वाले कारणों

से एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी यदि सेवा संतोषप्रद नहीं पाया जाय तो ऐसे सदस्यों की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

7 **प्रशिक्षण।** बिहार ईख प्रसार संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों को बिहार सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 में यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

8 **विभागीय परीक्षा।**– सीधी भर्ती से नव नियुक्त सदस्यों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा।

9 **सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा अवधि पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी नियुक्ति के सदस्यों की सेवा संपुष्ट की जाएगी।

10 **वरीयता का अवधारण।**– ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत कर्मियों की वरीयता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा–

(क) ईख प्रसार पदाधिकारी की संयुक्त वरीयता सूची विभाग द्वारा प्रकाशित की जायेगी, जिनकी वरीयता नियत तिथि के पूर्व विशिष्ट रूप में अवधारित नहीं की गयी हो, उनकी वरीयता का अवधारण सवंर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, किया जायेगा।

(ख) नियत तिथि के उपरांत वरीयता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा–

i. किसी पंचाग वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों से कनीय होगें।

ii. किसी पचांग वर्ष में ईख पर्यवेक्षक के पद से ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मी उस पचांग वर्ष में जनसेवक ग्रेड–(i) अथवा बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) के पद से ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मियों से वरीय होगें।
परन्तु किसी पंचांग वर्ष में ईख पर्यवेक्षक के पद से ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जैसी वरीयता ईख पर्यवेक्षक के पद पर थी।

iii. किसी पंचाग वर्ष में जनसेवक ग्रेड–(i) के पद से ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जैसी वरीयता जनसेवक ग्रेड–(i) के पद पर थी।

iv. किसी पंचांग वर्ष में बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) के पद से ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जैसी वरीयता बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) के पद पर थी।

v. किसी पंचांग वर्ष में जनसेवक ग्रेड–(i) एवं बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) के पद से ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता उनकी क्रमशः जनसेवक ग्रेड–(i) एवं बीज उत्पादन सहायक ग्रेड–(i) के पद पर प्रोन्नति की तिथि के आलोक में निर्धारित होगी।

11 प्रकीर्ण ।

(i) इस नियमावली के नियमों का निर्वचन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग अथवा वित्त विभाग के परामर्श से, किया जा सकेगा।

(ii) विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण, राजपत्र में समुचित आदेश, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, के प्रकाशन द्वारा, कर सकेगा।

(iii) जिन विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।

12. निरसन एवं व्यावृति।

(i) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(के० सेंथिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–321/2024– पटना, दिनांक– फरवरी, 2026

प्रतिलिपि–ई–गजट प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना की सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–321/2024– पटना, दिनांक– फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव।

(47)

ज्ञापांक–01 / स्था०राज० 321 / 2024 पटना, दिनांक फरवरी 2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3 / एम०–03 / 2025 सा०प्र०–16492 दिनांक–02.09.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०राज०–321 / 2024–471 पटना, दिनांक–26 फरवरी 2026

प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / ईखायुक्त के निजी सहायक / सभी उप निदेशक, ईख विकास / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर / सभी विशेष ईख पदाधिकारी / सभी ईख पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/26
अपर मुख्य सचिव।